Annexure - I

निष्पादक समिति की बैठक दिनांक 17.12.2009

कार्यवाही विवरण

दिनांक 17.12.2009 को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर की निष्पादक समिति की द्वितीय बैठक माननीय प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में सचिवालय में उनके कक्ष में आयोजित की गई जिसमें जिन अधिकारियों ने भाग लिया उनकी सूची संलग्न है।

बिन्दुवार प्रस्ताव/कार्यवाही विवरण निम्नानुसार :–

क्र. सं.	प्रस्ताव	निर्णय	क्रियान्विति
1	**बिन्दु संख्या 1. पूर्व बैठक की क्रियान्विति** पूर्व निष्पादक समिति के दिनांक 10.09.2009 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन	अनुमोदन किया गया।	
	बिन्दु संख्या 2. पी.डी. खाता एवं बैंक खाता खुलवाने की अनुमति पी.डी. खाता खोलने का हेतु :– माध्यमिक शिक्षा परिषद् की एम.ओ.ए. के अन्तर्गत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के लिए पी.डी. खाता खोलने का प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया था। कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त राशि को जमा करने हेतु पी.डी. खाते की आवश्यकता होगी। अतः पी.डी. खाते के खोलने एवं परिचालन का अधिकार निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् को दिया जाना प्रस्तावित है। प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	पी.डी. खाता खोलना वित्त विभाग में प्रक्रियाधीन है। अतः माध्यमिक शिक्षा परिषद् स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	पी.डी. खाता खुल चुका है।
	(अ) बैंक खाता खोलने के संबंध में :– वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा परिषद् के नाम से राज्य स्तर पर स्टेट बैंक ऑफ जयपुर एण्ड बीकानेर, शिक्षा संकुल शाखा में आवश्यक कार्य संचालन हेतु खाता खोला गया जिसका संचालन निदेशक, माध्यमिक शिक्षा परिषद् एवं रवीन्द्र कुमार शर्मा को संयुक्त रूप से किया जाने का प्रावधान दिया गया। अतः यह खाता जारी रखते हुए संचालन का अधिकार निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी को संयुक्त रूप से दिया जाना प्रस्तावित है।	राज्य स्तर पर एक खाता पूर्व में ही SBBJ शिक्षा संकुल शाखा में खुला हुआ है।	राज्य स्तर पर खोले गए खाते के संचालन का अधिकार पूर्व में कार्यरत परियोजना निदेशक श्रीमती आरूषी मलिक व श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा के नाम था। अब इसके संचालन का अधिकार वर्तमान परियोजना निदेशक (भास्कर ए. सावंत) व वर्तमान में कार्यरत वरिष्ठ लेखाधिकारी (शिवप्रकाश वर्मा) के नाम से स्थानान्तरित किया जा चुका है।
	उक्त बैंक खाते के अतिरिक्त बालिका छात्रावास एवं मॉडल स्कूल कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु पृथक से दो खाते स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर अथवा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक में खुलवाया जाना प्रस्तावित है। इन खातों का परिचालन निदेशक एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।	बालिका छात्रावास एवं मॉडल स्कूल के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र एवं बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खोलने में सहमति प्राप्त।	बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मॉडल स्कूल का एवं बैंक ऑफ बड़ौदा में बालिका छात्रावास के खाते खोले जा चुके हैं।
	जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वयक का कार्यालय एवं बैंक खाता खोला जाना प्रस्तावित है। बैंक खाते का परिचालन जिला परियोजना समन्वयक एवं सहायक लेखाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना प्रस्तावित है।	किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुलवाने पर सहमति दी गई।	सभी जिलों में खाते खोले जा चुके हैं एवं खाता संचालन हेतु निर्देश दिए जा चुके हैं।
	(ब) उपरोक्त खातों के संचालन के लिए विभिन्न राशि की मात्रा के आधार पर आहरण अधिकार विभिन्न स्तरों पर तय किया जाना प्रस्तावित है। जिसके अन्तर्गत परियोजना निदेशक/अति0 परियोजना निदेशक/वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी के वित्तीय अधिकार जिला एवं राज्य स्तर पर सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्ताव पर सहमति देते हुए समस्त जिला डी.पी.सी. को पत्र लिखे जाने हेतु निर्देश दिये गये।	निर्णय के अनुसार वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करने हेतु BF & AR तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव आज पेश हो रहा है।
	उपरोक्त प्रस्ताव में जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वयक एवं सहायक लेखाधिकारी को संयुक्त रूप से एक मद हेतु अधिकतम 5 लाख रूपये आहरण का अधिकार दिया जाना प्रस्तावित है।	सहमति प्राप्त हुई।	

	बिन्दु संख्या 3. वर्ष 2009–10 का संशोधित वार्षिक कार्य योजना एवं बजट भारत सरकार को वर्ष 2009–10 की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट प्रेषित किया गया था जिसकी Project Approval Board की बैठक दिनांक 12 नवम्बर 2009 को आयोजित की गई थी। बैठक में दी गई सैद्धान्तिक सहमति के आधार पर संशोधित वार्षिक कार्य योजना एवं बजट तैयार किया गया है। संशोधित प्रस्ताव अनुमोदनार्थ निष्पादक समिति के प्रस्तुत हैं। **(संलग्नक–अ)**	Non-recurring मद के बिन्दु संख्या 1.6, 1.7 एवं 1.8 तथा Recurring मद के बिन्दु संख्या 8 एवं 9 में आंशिक संशोधन के अतिरिक्त शेष बिन्दुओं पर सहमति प्राप्त। **Non-recurring –** 1.6 – संस्कृत शिक्षा हेतु 20 कम्प्यूटर कक्षों की स्थापना किये जाने हेतु स्वीकृति दी गयी। इस संबंध में संस्कृत शिक्षा विभाग से प्रस्ताव प्राप्त कर आगे कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया। 1.7 – Art/Craft/Culture Room हेतु सभी संभागीय मुख्यालयों पर यह कक्ष बनाने हेतु नये प्रस्ताव योजना में जोड़ने की सहमति दी गई। 1.8 – पुस्तकालय को (शैल्फ आदि) से सुसज्जित करने हेतु सभी संभागीय मुख्यालयों पर नये प्रस्ताव योजना में जोड़ने की सहमति दी गई। **Recurring –** 8 – सेवारत शिक्षक–प्रशिक्षण हेतु आवश्यकता अनुरूप जिलों की डाइट का सहयोग लिया जाये। आवश्यक होने पर सुदृढ़ीकरण हेतु बजट का प्रावधान किया जाये। 9 – राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के दिशानिर्देशानुसार वर्ष 2008–09 में खोले गये विद्यालयों में से जी.आई.एस. बेस स्कूल मैपिंग करवाकर औचित्यपूर्ण विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन, वेतन मद में जोड़ने हेतु निर्देश दिया गया। इन विद्यालयों की संख्या लगभग 2,000 होने की संभावना है। अतः इतने विद्यालयों का वेतन, वेतन मद में जोड़ा जावे यदि उक्त संख्या में सर्वे के आधार पर कोई परिवर्तन होता है तो इस संबंध में संशोधित बजट प्रस्ताव पुनः भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किये जायें।	वर्ष 2009–10 का बजट स्वीकृत होकर आ चुका है ऐसी स्थिति में पुनः प्रस्तावों को भेजना उपयुक्त नहीं है। इन्हें वर्ष 2010–11 के प्रस्ताव में सम्मिलित कर लिया जायेगा। प्रस्ताव वर्ष 2010–11 के बजट में सम्मिलित कर लिये जायेंगे। मैपिंग के पश्चात् प्रस्ताव वर्ष 2010–11 के बजट में सम्मिलित कर लिये जायेंगे।
	बिन्दु संख्या 4. प्रीपेट्री एक्टीविटी बजट **Preparatory Activity Budget अनुमोदनः–** भारत सरकार से 3.20/– करोड़ रूपये योजना की आरम्भिक तैयारी हेतु भिजवाया गया है। इसके अतिरिक्त 106.67/– लाख रूपये राज्य सरकार के हिस्से की राशि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। कुल 426.67/– लाख रूपये तैयारी हेतु प्रावधान है। तैयारी संबंधि कार्यों के व्यय हेतु संलग्नानुसार बजट अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। **(संलग्नक–ब)**	Preparatory Activities के बजट मद की सभी बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा करने के पश्चात् इसे अनुमोदित करते हुए निर्देश दिया गया कि निदेशालय स्तर पर प्रशिक्षण हेतु एक आधुनिक प्रशिक्षण केन्द्र विकसित किया जाये।	पूर्व में अनुमोदित प्रीपेट्री एक्टीविटी बजट के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् को दिनांक 22.03.2010 को पी.डी. खाते में राशि प्राप्त होने के बाद इसे परिषद् के बैंक खाते में स्थानान्तरित कर निम्न प्रकार जिलों को राशि स्थानान्तरित की जा चुकी है: 1. फर्नीचर क्रय हेतु – 81 लाख रू. 2. कम्प्यूटर ऑपरेटर हेतु – 1.98 लाख रू. 3. वर्कशॉप, सेमिनार व प्रशिक्षण हेतु – 33 लाख रू. 3. स्टेशनरी क्रय हेतु – 16.5 लाख रू. 4. वाहन हेतु – 16.5 लाख रू. 5. माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर में आधुनिक सुविधा युक्त प्रशिक्षण व बैठक कक्ष के निर्माण हेतु – 10 लाख रू. शेष बची राशि के उपयोग की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

	बिन्दु संख्या 5. निदेशालय माध्यमिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर में मुख्य भवन में रख–रखाव एवं फर्नीचर, कम्प्यूटर उपकरण आदि के लिए 10/– लाख रूपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर के भवन में अत्याधुनिक प्रशिक्षण केन्द्र विकसित करने हेतु 20 लाख रूपये की राशि खर्च करने पर सहमति दी गई लेकिन इस कार्य के सिविल कार्य संबंधी होने के कारण इस संबंध में भारत सरकार की अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया।	इस हेतु भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि राजसीन माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत चलने वाली तीनों गतिविधियों (RMSA/बालिका छात्रावास/मॉडल स्कूल) की राशियों का पूल बनाकर उपयोग किया जाये। इस को ध्यान में रखते हुए प्री–प्रोजेक्ट एक्टीविटी मद से 10 लाख, बालिका छात्रावास से 5 लाख व RMSA के 2009–10 के प्लान के MMER मद से 5 लाख रूपये की राशि व्यय करने की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी करते हुए राशि जारी की चुकी है।
	बिन्दु संख्या 6. जी.आई. बेस शाला मानचित्रण मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा Project Approval Board की बैठक में निर्देशित किया गया कि राज्य में नए विद्यालय खोलने से पूर्व शाला मानचित्रण कराया जाये। इसके लिए प्रस्तावित किया जाता है कि राज्य में शाला मानचित्रण प्रक्रिया अपनाई जाये। इस हेतु जी.आई.एस. बेस शाला मानचित्रण किया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिए प्रति जिला 3.00 लाख रूपये अनुमानित लागत सम्भावित है। अतः प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	राज्य के समग्र कार्य हेतु 3.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने पर सहमति प्राप्त।	टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। कार्य आदेश के पश्चात कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।
	बिन्दु संख्या 7. जिला स्तर पर शाषी परिषद एवं निष्पादक समिति का गठन जिला स्तर पर नीतीगत निर्णय यथा कार्य नियोजन एवं क्रियान्वयन मॉनीटरिंग करने हेतु शाषी परिषद का गठन निम्नानुसार किया जाना है। **शाषी परिषद्** 1. जिला प्रमुख – अध्यक्ष 2. जिले का सांसद – सदस्य 3. जिले के समस्त विधायक – सदस्य 4. जिले के समस्त प्रधान – सदस्य 5. जिला परिषद के चार सदस्य जिनमें – सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग तथा अल्प संख्यक (जिसमें कम से कम दो महिलाएं हों जिनका नामित शिक्षा मंत्री द्वारा रोटेशन से दो वर्ष किया जाये) 6. पंचायत समिति के 4 सदस्य जिनमें – सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग तथा अल्प संख्यक (जिसमें कम से कम दो महिलाएं हों जिनका जिला प्रमुख द्वारा रोटेशन से दो वर्ष के लिए नामित किया जाये) 7. दो शिक्षाविद् (जिनमें कम से कम एक महिला हो –सदस्य जिन्हें जिला प्रमुख द्वारा दो वर्ष के रोटेशन से नामित किया जाये) 8. शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली दो स्वैच्छिक संस्थाएँ – सदस्य सचिव (जिनको जिला प्रमुख द्वारा नामित किया जायेगा) 9. निष्पादक समिति के समस्त सदस्य – सदस्य 10. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) – सदस्य सचिव पदेन जिला परियोजना समन्वयक **निष्पादक समिति** 1. जिला कलक्टर – अध्यक्ष 2. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) – सदस्य 3. अति. जिला परियोजना समन्वयक, एसएसए – सदस्य 4. जिला परियोजना अधिकारी, महिला बाल विकास– सदस्य 5. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी – सदस्य 6. जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी – सदस्य	शाषी परिषद् की समिति की सदस्यों की सूची में जिले के सांसद एवं समस्त विधायकों को सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को भिजवाये जाने का सुझाव प्राप्त हुआ। जिसके बारे में सहमति प्रदान की गई। सदस्यों की सूची में संस्कृत शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि को भी सम्मिलित किये जाने का सुझाव प्राप्त हुआ। जिसके बारे में सहमति प्रदान की गई।	प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को प्रेषित कर दिए गए हैं। अनुमोदन के पश्चात् ही इस संबंध में आगामी कार्यवाही की जानी है।

	7. प्रधानाचार्य डाइट – सदस्य 8. दो प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक (जिसमें कम से कम एक महिला हो) – सदस्य जिसका जिला कलक्टर द्वारा 2 वर्ष के रोटेशन पर नामित किया जायेगा। 9. शिक्षक संघ के दो सदस्य (कलक्टर द्वारा नामित)–सदस्य जिसमें कम से कम एक महिला हों 10. स्वेच्छिक संस्था का एक सदस्य (कलक्टर द्वारा नामित) – सदस्य 11. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, – सदस्य (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान) 12. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य.) द्वितीय – सदस्य 13. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य.) प्रथम, – सदस्य सचिव पदेन जिला परियोजना समन्वयक		
	<u>बिन्दु संख्या 8</u>. बालिका छात्रावास एवं मॉडल स्कूल के अतिरिक्त कार्मिकों के स्वीकृति हेतु माध्यमिक शिक्षा अभियान के संचालन हेतु राज्य स्तर पर कुल 46 पद स्वीकृत किए गए हैं। जिनमें कार्यक्रम संचालन के लिए दो सहायक निदेशक, जो अभियान की विभिन्न गतिविधियों को देखेंगें एवं उनकी सहायता के लिए 5 कार्यक्रम अधिकारी स्वीकृत किए गए हैं। इस प्रकार जिला स्तर पर एक अतिरिक्त परियोजना समन्वयक व तीन कार्यक्रम अधिकारी के पद स्वीकृत हैं। प्रमुख शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बालिका छात्रावास व मॉडल स्कूल भी माध्यमिक शिक्षा परिषद् के पास रहेंगें। ये दोनों कार्यक्रम के लिए भारत सरकार द्वारा पृथ्क सेट–अप निर्धारित किया गया है और इनका संचालन माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा ही किया जाना है। अतः उक्त दोनों कार्यक्रमों के लिए राज्य/जिला स्तर पर निम्न पदों की स्वीकृति प्रस्तावित है :– <u>राज्य स्तर पर:–</u> **बालिका छात्रावास** 1 – सहायक निदेशक (एक) 2 – कार्यक्रम अधिकारी (एक) 3 – लिपिक (एक) 4 – कनिष्ठ लेखाकार (एक) 5 – कम्प्यूटर ऑपरेटर (एक) **मॉडल स्कूल** 1 – सहायक निदेशक (एक) 2 – कार्यक्रम अधिकारी (एक) 3 – लिपिक (एक) 4 – कनिष्ठ लेखाकार (एक) 5 – कम्प्यूटर ऑपरेटर (एक)	अनुमोदन प्राप्त। पद सृजन हेतु प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजे जाने का सुझाव प्राप्त।	पदों के सृजन हेतु वित्त विभाग को भेजने हेतु प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं। इन्हें शीघ्र ही वित्त विभाग को प्रेषित कर दिया जावेगा।
	अन्य बिन्दु अध्यक्ष, निष्पादक समिति की अनुमति के अनुसार जेण्डर संबंधी कार्य हेतु	सर्व शिक्षा अभियान में संचालित जेण्डर प्रभाग से सहयोग लेने पर सहमति प्राप्त।	कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

निदेशक,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर